न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 37/2022 (उदयपुर डिक्री)

हीरा पिता रता जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गीता बाई पत्नी घासीराम जी ब्राहमण, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नाथू पिता भजा जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. गोपाल पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. दीपाराम पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. भोलाराम पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती मांगी बाई पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/5. मोहनलाल पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/6. श्रीमती लेहरी बाई पिता नाथूलाल जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/7. जितेन्द्र पिता उदयलाल जी डांगी माता खेमडी बाई डांगी, निवासी गोडच, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/8. विष्णु पिता उदयलाल जी डांगी माता खेमडी बाई डांगी, निवासी गोडच, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. श्रीमती देऊ बाई बेवा गंगा जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. डालू पिता रता जी डांगी, निवासी ओबराखुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल जी मेहता, निवासी पलटन मस्जिद के सामने, नेशनल प्रिन्टिंग के पास, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक
11.04.2019 प्रकरण सं0 129/2015

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मंगलसिंह राजपूत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 30–05–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओबराखुर्द में जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 148 में वर्णित आराजियात किता 2 रकबा 0.0750 हैक्टर एवं खाता संख्या 154 में वर्णित आराजियात किता 12 रकबा 2.0300 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त खाता संख्या 148 में वादिया का 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 154 में वादिया का 1/9 हिस्सा निहित है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण भूमि के विकास के लिए ऋण आदि में असुविधा होती है। अतः पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–04–2019 से वादिया का वाद स्वीकार कर दिनांक 11–08–2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11–04–2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–05–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्षान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 21–05–2022 को तब हुई तब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के कब्जेवाली जमीन पर आये और कहा कि उक्त जमीन बंटवारे में उन्हें प्राप्त हुई है इसलिए आप कब्जा खाली करो। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं होते हुए भी पटवारी रिपोर्ट को देखकर बंटवारे की डिक्री जारी कर दी। प्रारम्भिक डिक्री भी अपीलान्ट के पीठ पीछे जारी की गयी है, जिसे चैलेन्ज नहीं किया है, क्योंकि अपीलान्ट बंटवारा चाहता है, परन्तु अंतिम डिक्री में गलत तरीके से जारी की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण की उपस्थिति में तैयार कर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायायाल की पत्रावली पर संलग्न फर्द बंटवारे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बंटवारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 11–04–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय यदि किसी पक्षकार की आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुए विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested